वीएम जैन, जे . के समक्ष

सुरिंदर नाथ सूद–*याचिकाकर्ता*

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ – प्रतिवादी

Crl. M. No. 17026/M OF 2001

18 मई, 2001

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, *1954*- धारा *7 (ii) 16 (1) (a) (i)* और *19 (2)*-खाद्य मिलावट निवारण नियम, *1955*-. नियम *32-A*-गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों की सार्वजनिक बिक्री-शिकायत-रद्द करना-यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आरोपी डीलर ने किसी भी बिल या नकद ज्ञापन के तहत खाद्य पदार्थों के पैकेट खरीदे या उनके लेबल पर कोई वारंटी थी।–अभियुक्त की याचिका कि वह धारा *19(2)* के संरक्षण का हकदार है को नकार दिया गया -आपराधिक शिकायत और उस पर की गई कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि आरोपी एक व्यापारी है या उसने उसी स्थिति में वस्तुओं को संग्रहीत किया था जिसमें उन्हें खरीदा गया था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 19 (2) के उपबंधों के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि धारा 19 (2) के अधीन संरक्षण के लिए अभियुक्त याचिकाकर्ता, जो एक विक्रेता है, को यह साबित करना आवश्यक है कि उसने किसी विनिर्माता, वितरक या विक्रेता से लिखित वारंटी के साथ निर्धारित प्रपत्र में खाद्य सामग्री, अर्थात् सुजी रस, खरीदी थी और इस प्रयोजन के लिए उससे इस संबंध में पृथक वारंटी या बिल या नकद ज्ञापन आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि ऐसी वारंटी, बिल या नकद

ज्ञापन अभियुक्त-याचिकाकर्ता द्वारा खाद्य निरीक्षक के समक्ष उस समय प्रस्तुत किया गया था जब नमूना लिया गया था या उसके बाद किसी भी समय खाद्य निरीक्षक के समक्ष या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सिर्फ इसलिए कि पैकेटों को ठीक से संग्रहीत किया गया था और/या उसी स्थिति में बेचा गया था, जिसमें वे खरीदे गए थे, अपने आप में, अभियुक्त-याचिकाकर्ता को उसके द्वारा किए गए अपराध से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, विशेष रूप से तब जब न तो कोई लिखित वारंटी है और न ही इस संबंध में अभियुक्त-याचिकाकर्ता द्वारा कोई बिल, नकद ज्ञापन या लेबल प्रस्तुत किया गया है।

(पैरे 16 और 17)

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954- धारा 23 (I-A) (d) जैसा 1976 के अधिनियम संख्या 34 द्वारा संशोधित- खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955- नियम I.32 (e) (f), दिनांक 29.4.87 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित - नियम I.32 (e) और (f) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि खाद्य पैकेटों पर बैच नं. और विनिर्माण/पैकिंग के वर्ष का महीना दिए जाएँगे -केंद्र सरकार के पास संशोधित धारा 23(1-A)(d) के तहत नियम बनाने की शक्ति है– नियमों के उल्लंघन के लिए उक्त संशोधन के बाद दायर की गई शिकायत- R 1.32 (f) अमान्य घोषित नहीं किया गया-आपराधिक शिकायत रद्द करने के योग्य नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियमों के नियम 32 (f) w.e.f. 30 अप्रैल, 1989 का प्रावधान है कि भोजन के प्रत्येक पैकेट पर एक लेबल होगा और प्रत्येक लेबल पर वस्तु के निर्माण या पहले से पैक करने का महीना और वर्ष निर्दिष्ट किया जाएगा। वर्तमान मामले में, सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा यह पाया गया कि न केवल बैच नं. का नमूने पर उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन यहां तक कि नमूने के लेबल पर

निर्माण/पैकिंग के महीने और वर्ष का उल्लेख/प्रिंट भी नहीं किया गया था जो नियमों के नियम 32 के खंड (e) और (f) के तहत आवश्यक है। चूंकि R1.32 (f) को अमान्य घोषित नहीं किया गया है, इसलिए नियम 32 (f) के उल्लंघन के लिए आरोपी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 11)

जी.एस. साहनी, अधिवक्ता, –*याचिकाकर्ता* के लिए

निर्णय

वी.एम*. जैन, जे.*

1) यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका है, जो आरोपी-याचिकाकर्ता सुरिंदर नाथ सूद द्वारा दायर की गई है, जिसमें खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7(ii) और 16(1)(a)(i) जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 32 (e) और (f) के साथ पढ़ा जाता है के तहत आपराधिक शिकायत और इसके बाद सीजेएम चंडीगढ़ द्वारा की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।
2) अनुबंध P2 अधिनियम और नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के बारे में आरोपी-याचिकाकर्ता सुरिंदर नाथ सूद के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर आपराधिक शिकायत दिनांक 27.11.2000 की प्रति है। आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 31.7.2000 को सुबह 11 बजे खाद्य निरीक्षक श्री एम.के. शर्मा ने आरोपी सुरिंदर नाथ सूद के सुरिंदर ट्रेडर्स, सेक्टर 22, चंडीगढ़ के परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि उनके पास अपनी दुकान में सार्वजनिक बिक्री के लिए 500

ग्राम प्रत्येक के लगभग 20 पैकेट सूजी रस्क हैं और खाद्य निरीक्षक ने आरोपी को आवश्यक नोटिस देकर विश्लेषण और जांच के लिए सूजी रस्क के नमूने की मांग की। यह भी आरोप लगाया गया कि उस समय, खाद्य निरीक्षक ने नमूना लेने की प्रक्रिया को देखने के लिए अनिल कुमार को गवाह के रूप में शामिल किया था। यह आरोप लगाया गया था कि खाद्य निरीक्षक ने नकद भुगतान के बदले विश्लेषण के लिए अभियुक्त से सूजी रस्क के 500 ग्राम के 3 पैकेट खरीदे और उसके बाद उन पैकेटों को विधिवत सील कर दिया गया और पूरी कार्यवाही के संबंध में खाद्य निरीक्षक द्वारा एक स्पॉट मेमो भी तैयार किया गया। यह आरोप लगाया गया था कि फॉर्म VII के मेमो की एक प्रति के साथ नमूने का एक सीलबंद हिस्सा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, को सूचित करते हुए सीलबंद पैकेट में विश्लेषण और जांच के लिए सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, चंडीगढ़ को हाथ से भेजा गया था और फॉर्म VII में मेमो की एक प्रति, जिस पर मुहर लगी हुई थी, एक सीलबंद लिफाफे में सार्वजनिक विश्लेषक को अलग से भेजी गई थी, जबकि नमूने के शेष 2 सीलबंद हिस्से/पैकेट, फॉर्म VII में मेमो की 2 प्रतियों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, एक सीलबंद लिफाफे में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के पास जमा कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, चंडीगढ़ की रिपोर्ट स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार "बैच नं. और विनिर्माण/पैकिंग के वर्ष के महीने का उल्लेख/नमूने के लेबल पर उल्लेख/ मुद्रित नहीं किया गया है, जैसा कि नियमों के नियम 32 के खंड (e) और (f) के तहत आवश्यक है। इसलिए, इसे गलत ब्रांडेड पाया गया है।" यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि आरोपी सुरिंदर नाथ सूद

ने अपनी दुकान में सार्वजनिक बिक्री के लिए गलत ब्रांड वाला सुजी रस्क रखा था, इसलिए उसने उपरोक्त अपराध किए थे।

3) उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर, आरोपी-याचिकाकर्ता को विद्वान सीजेएम द्वारा बुलाया गया था। उसी के खिलाफ व्यथित होकर, आरोपी-याचिकाकर्ता, सुरिंदर नाथ सूद ने वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि 1972 एफएसी, 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियम बनाने की शक्ति से परे होने के कारण नियमों के नियम 32 को अधिकार से बाहर घोषित किया गया था और इस न्यायालय द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों में इसका पालन किया गया था, आपराधिक शिकायत और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। यह भी आरोप लगाया गया कि वर्तमान मामले में, वस्तु उसी स्थिति में रही थी, जैसा कि निर्माता द्वारा विक्रेता को आपूर्ति की गई थी और ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी या उसे ठीक से संग्रहीत नहीं किया गया था या यह उसी स्थिति में नहीं था जब इसे खाद्य निरीक्षक को बेचा गया था और इस प्रकार आरोपी-याचिकाकर्ता, जो एक विक्रेता था, के खिलाफ कार्यवाही भी इस आधार पर रद्द की जा सकती थी, क्योंकि सूजी रस्क के उक्त पैकेट मगन स्टैंडर्ड बेकरी, दिल्ली द्वारा निर्मित किए गए थे। यह आरोप लगाया गया कि निर्माता, मगन स्टैंडर्ड बेकरी, को वर्तमान शिकायत में आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया था और इस आधार पर भी, आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान कार्यवाही रद्द होने योग्य थी।

4) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

5) अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत पहला बिंदु यह था कि द्वारका नाथ और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम[1]

[1] 1972 FAC I

के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में नियमों के नियम 32 (ई) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित किया गया था और उस आधार पर, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शुरू की गई अधिनियम और नियमों के तहत कार्यवाही रद्द होने योग्य थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्राधिकार में निर्धारित कानून का पालन इस न्यायालय द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों में किया गया था, जैसा कि जगन नाथ दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य[2], अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[3]; ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य[4] और मेसर्स पंजाब फूड प्रोडक्ट्स बनाम पंजाब राज्य, क्रिमिनल मिस्क 12925-M 1995 का निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके बाली द्वारा 4.5.2001 को दिया गया। भारत अरोड़ा और अन्य बनाम पंजाब राज्य[5], बाबूलाल बनाम खाद्य निरीक्षक[6] और के.वी. राममूर्ति और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य[7], जैसे मामलों में निर्धारित कानून पर भी भरोसा किया गया था।

6) 1972 FAC, 1 (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 23 और नियमों के नियम 32 (b) और (e) के प्रावधानों, जो प्रासंगिक समय पर मौजूद थे, पर विचार किया था। अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा यह माना गया कि नियमों का नियम 32(e) (जैसा कि प्रासंगिक समय पर मौजूद था) अधिनियम की धारा 23(1)(d) (जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में था) के तहत दी गई नियम

---

[2] 1993 क्रिमिनल लॉ टाइम्स 330

[3] 1993 क्रिमिनल लॉ टाइम्स 160

[4] 2000 (4) RCR 769

[5] 1999 (3) CCC 391 (Delhi)

[6] 1992, अखिल भारतीय खाद्य मिलावट निवारण जर्नल 339

[7] 1990 अखिल भारतीय खाद्य मिलावट निवारण जर्नल 533

बनाने की शक्ति से परे था और इस प्रकार, आरोपी को नियमों के नियम 32 के खंड (e) के किसी भी उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि उक्त प्रावधान अमान्य था । हालांकि, नियमों के नियम 32(b) (जैसा कि यह उस समय अस्तित्व में था), के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा यह माना गया था कि लॉर्डशिप अभियुक्तों के वकील के उस तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे कि अधिनियम की धारा 23(1)(डी) के तहत नियमों का नियम 32 का खंड (b) केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से परे था। उक्त प्राधिकरण में यह भी कहा गया कि उनके लॉर्डशिप की राय थी कि नियमों के नियम 32 का खंड (b) एक वैध नियम था।

7) उपरोक्त के अवलोकन से, यह स्पष्ट होगा कि नियमों के नियम 32(e), जो प्रासंगिक समय पर मौजूद थे, अधिनियम की धारा 23(1)(d), जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में था, के तहत नियम बनाने की शक्ति से परे होने के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया था जबकि, नियमों के नियम 32 (b) (जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में था) को एक वैध नियम माना गया था और अधिनियम की धारा 23(1)(d) के तहत (जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में था) यह केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से परे नहीं था।

8) सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप के उपरोक्त निर्णय के बाद, अधिनियम की धारा 23 को संसद द्वारा संशोधित किया गया था, जबकि नियमों के नियम 32 को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। अधिनियम की धारा 23 (1-A) (d) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है और नियम, जनता या क्रेता को वस्तु के चरित्र, गुणवत्ता या मात्रा के बारे में धोखा देने या गुमराह होने से रोकने या मिलावट को रोकने की दृष्टि से किसी भी भोजन की वस्तु की पैकिंग

और लेबलिंग और ऐसे किसी भी पैकेट या लेबल के डिज़ाइन को प्रतिबंधित करने का प्रावधान कर सकते हैं । धारा 23 (1-A) के उप-खंड (d) में, 1976 के अधिनियम संख्या 34 के तहत 1.4.1976 से "या मिलावट को रोकने के लिए" शब्द जोड़े गए थे। जहां तक नियमों के नियम 32 का सवाल है, इसे अधिसूचना दिनांक 29.4.1987 (30.4.1989 से) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पहले नियमों के नियम 32 के उप-नियम (e) में निर्दिष्ट किया गया था कि जब तक उन नियमों में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक प्रत्येक लेबल पर या तो हिंदी या अंग्रेजी अंकों या वर्णमाला या संयोजन में, एक बैच नंबर या कोड नंबर निर्दिष्ट किया जाएगा, बशर्ते कि जहाँ खाद्य पैकेज का वजन 60 ग्राम से अधिक नहीं है, उस मामले में, खंड (d) या (e) के तहत विवरण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, नियमों के नियम 32 को दिनांक 29.4.1987 की अधिसूचना w.e.f 30.4.1989 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नियमों के संशोधित नियम 32 (e) के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि भोजन के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल होगा और जब तक कि उन नियमों में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, प्रत्येक लेबल पर एक विशिष्ट बैच नंबर या लॉट नंबर निर्दिष्ट किया जाएगा या तो संख्यात्मक या वर्णमाला में या संयोजन में जो बैच नंबर या लॉट नंबर या कोड नंबर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पहले बैच नंबर या बैच या लॉट नंबर या लॉट या कोई विशिष्ट उपसर्ग शब्द आते हैं, बशर्ते डिब्बाबंद भोजन के मामले में, बैच नंबर पात्र के नीचे या ढक्कन पर दिया जा सकता है, लेकिन 'बैच नंबर' जो नीचे या ढक्कन पर दिया गया है वह पात्र के मुख्य भाग पर दिखाई देगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि कार्बोनेटेड पानी के कंटेनरों और बिस्कुट, कन्फेक्शनरी या मिठाई के पैकेजों के मामले में, जिनमें 60 ग्राम से अधिक नहीं, बल्कि

120 ग्राम से अधिक नहीं और खाद्य पैकेज जो 60 ग्राम से अधिक वजन वाले नहीं हैं, खंड (d) और (e) के तहत विवरण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे यह प्रावधान किया गया है कि निष्फल दूध सहित ब्रेड और दूध वाले पैकेज के मामले में, खंड (e) के तहत विवरण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है..."

9) उपरोक्त के अवलोकन से, यह स्पष्ट होगा कि 1972 FAC I (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप के फैसले के बाद, संसद ने अधिनियम की धारा 23(1)(d) में संशोधन किया था, जबकि, केंद्र सरकार ने नियमों के नियम 32 को प्रतिस्थापित कर दिया था, जिसमें नियमों के नियम 32 के उप-नियम (e) भी शामिल थे। नियमों के नियम 32(e) के अनुसार, विशिष्ट बैच नंबर या लॉट नंबर या कोड नंबर देना आवश्यक हो गया है और यह नियम केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 23(1)(d) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है जिसके तहत केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है और वे नियम मिलावट को रोकने के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ आदि की पैकेजिंग और लेबलिंग को प्रतिबंधित करने का प्रावधान कर सकते हैं। वर्तमान मामले में, खाद्य निरीक्षक द्वारा आरोपी-याचिकाकर्ता के परिसर से 31.7.2000 को नमूना लिया गया था, यानी अधिनियम की धारा 23(1)(d) में संशोधन और केंद्र सरकार द्वारा नियमों के नियम 32 को प्रतिस्थापित करने के काफी बाद। अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह दिखाने में विफल रहे कि अधिनियम की धारा 23(1)(d) में संशोधन के बाद भी, नियमों का नियम 32(e) अधिनियम की धारा 23(1)(d) के तहत दी गई नियम बनाने की शक्ति से परे था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियमों का वर्तमान नियम 32(e) अमान्य था या केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति

से परे था, जैसा कि अधिनियम की धारा 23(1A)(d) के तहत प्रदान किया गया है । (अधिनियम के उपरोक्त संशोधन के बाद)।

10)मेरी राय में, आरोपी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न अन्य प्राधिकारियों को नियमों के नियम 32 (e) को अमान्य मानने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। 1993 क्रिमिनल लॉ टाइम्स 330 (सुप्रा), 1993 क्रिमिनल लॉ टाइम्स 160 (सुप्रा), 2000(4) हालिया आपराधिक रिपोर्ट 769 (सुप्रा) और क्रिमिनल विविध 12925-एम ऑफ 1995 (सुप्रा) में, आपराधिक शिकायतों और परिणामी कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा केवल सर्वोच्च न्यायालय के रिपोर्ट किए गए मामले 1972 FAC1 में लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित कानून का हवाला देकर रद्द कर दिया गया था, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि न केवल नियमों के नियम 32 (e) को प्रतिस्थापित किया गया था, बल्कि यहां तक कि अधिनियम धारा की 23 (1)(d) में संशोधन किया गया था। इस प्रकार, इन निर्णयों को एक मिसाल के रूप में यह मानने के लिए नहीं लिया जा सकता कि नियमों के नियम 32(e) (अधिनियम में संशोधन और नियमों के नियम 32 के प्रतिस्थापन के बाद भी) को अमान्य घोषित कर दिया गया था। इसी तरह, प्राधिकरण 1999 (3) CCC 391 (दिल्ली) (सुप्रा), याचिकाकर्ता की कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि इस प्राधिकरण में भी अधिनियम और नियमों में किए गए संशोधन पर विचार नहीं किया गया था।

11)किसी भी स्थिति में, वर्तमान मामले में, न केवल नियमावली के नियम 32(e) का उल्लंघन है, बल्कि नियमावली के नियम 32(f) का भी उल्लंघन है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नियमों के नियम 32(f) को केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया हो। केवल इसलिए कि 1972 एफएसी । (सुप्रा) के रूप में दर्ज मामले में नियमों के नियम 32(e) को (जैसा कि यह

प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में था) अमान्य और अधिनियम की धारा 23(1)(d) के तहत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से परे घोषित कर दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि नियमों का नियम 32(f) भी अमान्य था या केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से परे था, जैसा कि अधिनियम की धारा 23(1)(डी) में दिया गया है। यह विशेष रूप से तब है जब 1972 एफएसी 1 (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियमों के नियम 32 (f) को (जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था) एक वैध नियम घोषित किया था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं आया है कि नियमों का नियम 32 (f) भी अमान्य है या केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से परे है। दरअसल, आरोपी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह बताने में विफल रहे कि किस तरह से नियमों का नियम 32 (f) अमान्य है। 30.4.1989 से प्रभावी नियमों के नियम 32(f) में प्रावधान है कि भोजन के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल होगा और यह प्रत्येक लेबल पर, उस महीने और वर्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें वह वस्तु निर्मित या पहले से पैक की गई है। वर्तमान मामले में, सार्वजनिक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.8.2000, प्रतिलिपि अनुलग्नक P1 में पाया कि नमूने पर न केवल बैच संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि विनिर्माण/पैकिंग का माह और वर्ष भी नमूने के लेबल पर उल्लिखित/मुद्रित नहीं किया गया है, जैसा कि नियमों के नियम 32 के खंड (e) और (f) के तहत आवश्यक है। चूंकि नियमों के नियम 32(f) को अमान्य घोषित नहीं किया गया है, इसलिए नियमों के नियम 32(f) के उल्लंघन के लिए आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है।

12)मेरी राय में, आरोपी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील जिन दो प्राधिकारियों पर भरोसा करते हैं, उनमें से एक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और

दूसरा मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश है, इससे भी आरोपी-याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी। 1992 में अखिल भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण जर्नल 339 (सुप्रा), नियमों के नियम 32 (e) के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित कानून, 1972 में FAC 1 पर अधिनियम और नियमों के बाद के संशोधनों पर विचार किए बिना भरोसा किया गया था जबकि नियमों के नियम 32 (f) के संबंध में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि प्रश्न में वस्तु अर्थात घी, जो मक्खन के समान था, नियमों के नियम 32 का कथित उल्लंघन गलत समझा गया, क्योंकि नियमों के नियम 32(f) के तहत, यह निर्देशित किया गया था कि ब्रेड वाले पैकेज और सब्जी, फल, आइसक्रीम, मक्खन, पनीर, मछली, मांस या किसी अन्य वस्तु का कोई भी बिना डिब्बाबंद पैकेज पर उस महीने और वर्ष के बारे में कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें वस्तु का निर्माण/तैयार किया गया था। इस प्रकार, यह प्राधिकरण, नियमों के नियम 32 (e) या नियम 32 (f) के लिए अभियुक्त-याचिकाकर्ता की मदद नहीं करेगा। 1990 अखिल भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण जर्नल 533 (सुप्रा) में, मद्रास उच्च न्यायालय नियमों के नियम 32(e) और (f) के प्रावधानों पर विचार कर रहा था। रिपोर्ट किए गए मामले में, यह देखा गया कि संशोधन के माध्यम से खंड (f) को पेश करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खंड 32(e) को रद्द करने के फैसले के प्रभाव को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया था और खंड (f) को नियम 32(e) से स्वतंत्र रूप से जोड़ा गया था और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि संशोधन के माध्यम से खंड (f) को प्रस्तुत करके, खंड (e) को स्वचालित रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय, नियम 32 (e) को निरस्त करना जो लागू था और फैसले से प्राप्त लाभ याचिकाकर्ता के बचाव में जा सकता है।

13)मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को उनके लॉर्डशिप के ध्यान में नहीं लाया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिनियम की धारा 23(1)(d) को वर्ष 1976 में संशोधित किया गया था। नियमों के नियम 32 को 30.4.1989 से प्रतिस्थापित किया गया था। जहां तक नियमों के नियम 32 के उप-नियम (f) का सवाल है, यह 30.4.1989 से नियम 32 के प्रतिस्थापन से पहले भी अस्तित्व में था। 30.4.1989 से प्रतिस्थापन से पहले नियमों के नियम 32(f) में यह आवश्यक था कि जब तक उन नियमों में कोई अन्य बात न हो, प्रत्येक लेबल पर, महीने और वर्ष निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिसमें वस्तु का निर्माण या पैक किया गया था। 30.4.1989 से नियम 32 के प्रतिस्थापन के बाद, नियमों के नियम 32 के उप-नियम (f) में यह आवश्यक है कि भोजन के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल होगा और जब तक कि उन नियमों में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक प्रत्येक लेबल पर वह महीना और वर्ष निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें वस्तु का निर्माण किया जाता है या पहले से पैक किया जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि यह नियम उस तिथि से पहले भी अस्तित्व में था, जब इसे 30.4.1989 से प्रतिस्थापित किया गया था। जहां तक नियमों के नियम 32(e) का सवाल है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस उप-नियम को 30.4.1989 से प्रतिस्थापित किया गया था और केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिनियम की धारा 23(1A)(d) से अपनी शक्तियां प्राप्त कीं जिसे 1.4.1976 से संशोधित किया गया था। इस तरह, मेरी राय में, इस प्राधिकरण में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भी आरोपी-याचिकाकर्ता की कोई मदद नहीं करेगा।

14)तब आरोपी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा मेरे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि 'सूजी रस्क' के पैकेट, जिन्हें खाद्य निरीक्षक ने नमूने

के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया था, सीलबंद पैकेट में थे और वे ठीक से भंडारण किया गया और उसी स्थिति में बेचा गया, जिसमें इन्हें निर्माता/वितरक से खरीदा गया था और इस तरह याचिकाकर्ता, एक डीलर, को अधिनियम की धारा 19 (2) और नियमों के नियम 32(ए) के तहत संरक्षित किया गया था। राजलदास गुरुनामल पमनानी बनाम महाराष्ट्र राज्य[8] , और पी. उन्नीकृष्णन बनाम खाद्य निरीक्षक, पाटघाट नगर पालिका, केरल राज्य[9] , के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया गया था।

15)हालाँकि, मुझे अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील में भी कोई दम नहीं दिखता। अधिनियम की धारा 19(2) इस प्रकार है:

> "किसी विक्रेता द्वारा की किसी भी मिलावट या गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री को अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह साबित करता है -
>
> a) कि उसने भोजन का सामान खरीदा-
>
> i) ऐसे मामले में जहां इसकी बिक्री के लिए लाइसेंस निर्धारित किया गया है, विधिवत लाइसेंस प्राप्त निर्माता, वितरक या डीलर से;
>
> ii) किसी अन्य मामले में, किसी निर्माता, वितरक या डीलर से, निर्धारित प्रपत्र में लिखित वारंटी के साथ; और

[8] 1975 FAC I
[9] 1996 (2) FAC 25

(b) कि उसके पास मौजूद खाद्य सामग्री ठीक से संग्रहित थी और उसने इसे उसी स्थिति में बेचा, जिस स्थिति में उसने इसे खरीदा था।“

नियमों का नियम 12(ए), इस प्रकार है:-

"वारंटी - विक्रेता को खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रत्येक निर्माता, वितरक या डीलर को अलग से या बिल, कैश मेमो या लेबल में फॉर्म VI-A में वारंटी देनी होगी।"

16)उपरोक्त के अवलोकन से, यह स्पष्ट होगा कि अधिनियम की धारा 19(2) के तहत सुरक्षा के लिए, आरोपी याचिकाकर्ता, जो एक डीलर है, को यह साबित करना आवश्यक है कि उसने भोजन का सामान, अर्थात् सूजी रस्क, किसी भी निर्माता, वितरक या डीलर से, लिखित वारंटी के साथ, निर्धारित प्रपत्र में खरीदा था और इस प्रयोजन के लिए, उसे इस संबंध में या तो अलग वारंटी या बिल या कैश मेमो इत्यादि प्रस्तुत करना आवश्यक था।

17)वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि नमूना लेने के समय या उसके बाद किसी भी समय या तो खाद्य निरीक्षक के समक्ष या न्यायालय के समक्ष, साक्ष्य के दौरान या अन्यथा आरोपी-याचिकाकर्ता द्वारा खाद्य निरीक्षक के समक्ष ऐसी कोई वारंटी, बिल या कैश मेमो प्रस्तुत किया गया था। केवल इसलिए कि पैकेट ठीक से संग्रहीत किए गए थे और/या उसी स्थिति में बेचे गए थे, जिस में उन्हें खरीदा गया था, आरोपी-याचिकाकर्ता को उसके द्वारा किए गए अपराध से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, खासकर जब न तो कोई लिखित वारंटी हो

और न ही इस संबंध में आरोपी-याचिकाकर्ता द्वारा कोई बिल, कैश मेमो या लेबल प्रस्तुत किया गया है।

18)मेरी राय में, आरोपी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जिन दो प्राधिकारियों पर भरोसा किया, उनसे आरोपी-याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी। 1975 FAC 1 (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा यह माना गया था कि मिलावटी/गलत ब्रांड वाली वस्तुओं की बिक्री से बचने के लिए धारा 19(2) (i) और (ii) दोनों मामलों में एक लिखित वारंटी दी गई थी। इसमें आगे कहा गया कि जहां एक विक्रेता ने एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता/वितरक या डीलर से लिखित वारंटी के साथ खाद्य पदार्थ खरीदा था, वहां अधिनियम की धारा 19(2)(a) एक बचाव प्रदान करेगी। फिर, किसी विक्रेता को किसी भी मिलावटी या गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री से संबंधित अपराध नहीं माना जाएगा, यदि उसने यह साबित कर दिया है कि उसने निर्माता/वितरक या डीलर से निर्धारित फॉर्म में लिखित वारंटी के साथ सामान खरीदा है। ये लाभकारी प्रावधान राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए डिज़ाइन किए गए थे और इसलिए, एक वारंटी दी गई थी और किसी भी तरह की ढिलाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उक्त प्राधिकरण में आगे कहा गया कि नियम 12 (A) में एक प्रोवाइज़ो है कि ऐसे फॉर्म में कोई वारंटी आवश्यक नहीं है यदि खाद्य पदार्थ के लेबल या उस वस्तु के संबंध में व्यापारी द्वारा विक्रेता को दिए गए कैश मेमो में यह प्रमाणित करने वाली वारंटी निहित है कि पैकेज या पात्र में निहित या नकद ज्ञापन में उल्लिखित भोजन प्रकृति, पदार्थ और गुणवत्ता में समान था, जैसा कि विक्रेता द्वारा मांग की गई थी। 1996(2) FAC 25 (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा यह माना गया था कि नियम 12(A) के साथ धारा 19(2) को ध्यान में रखते हुए , आरोपी के लिए यह दिखाना आवश्यक था कि उसने

निर्धारित प्रपत्र में लिखित वारंटी के साथ निर्माता/वितरक या डीलर से वस्तु की खरीदारी की थी। रिपोर्ट किए गए मामले में, माना जाता है कि, एक बिल Ex. D1 था, जिसमें वारंटी थी और यह स्वीकार किया गया मामला था कि टिन उसी रूप में और उसी स्थिति में खाद्य निरीक्षक को बेचा गया था जिसमें कथित निर्माता से खरीदा गया । यह उन परिस्थितियों में था, कि सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा यह माना गया था कि नियम 12 (A) के साथ पढ़ी गई धारा 19 (2) की आवश्यकताएं अभियुक्तों द्वारा किए गए बचाव के उद्देश्यों के लिए संतुष्ट थीं।

19)वर्तमान मामले में मामला अभी भी शिकायतकर्ता की गवाही के चरण में है। आरोपी को अभी तक अपना बचाव प्रस्तुत करना बाकी है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि आरोपी-याचिकाकर्ता ने किसी निर्माता/डीलर या वितरक से लिखित वारंटी के साथ 'सूजी रस्क' के पैकेट खरीदे थे, न ही यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी है कि उसने वह किसी भी बिल या कैश मेमो के बदले खरीदा था, न ही रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ है जो यह दर्शाता हो कि उस पर लगे लेबल में इस संबंध में कोई वारंटी आदि शामिल है। इन परिस्थितियों में, इस स्तर पर, आपराधिक शिकायत और उस पर की गई कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि आरोपी-याचिकाकर्ता एक डीलर है या किसी वारंटी, बिल या कैश मेमो या लेबल के अभाव में उसने खाद्य पदार्थ को उसी स्थिति में संग्रहीत किया था, जिस स्थिति में उसने खरीदा था ।

20)मेरे समक्ष किसी अन्य बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया है।

21)ऊपर दर्ज कारणों से, मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती और इसे खारिज किया जाता है।

याचिका खारिज.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर,यमुनानगर